कार्यालय, प्रभारी अधिकारी, भण्डार क्रय
गो0 ब0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर

पत्रांकः प्र0अ0भ0क्र0 / 2019–20 /1117 दिनांकः 22 जनवरी, 2020

समस्त अधिष्ठाता / निदेशक / विभागाध्यक्ष (वाह्य शोध इकाईयों सहित)

जैसा कि विदित है वर्तमान में विश्वविद्यालय में लागू उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अध्याय 02 के **प्रस्तर 34– "क्रय समिति के माध्यम से सामग्री का क्रय"** के प्राविधानानुसार क्रय की सभी शतें (सामग्री के दरों की युक्तियुक्तता, गुणवत्ता तथा विशिष्टता सुनिश्चित करने एवं आपूर्तिकर्ता चिन्हित करने सहित) पूर्ण करने एवं क्रयादेश जारी करने से पूर्व एवं क्रय प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त बीजक के पृष्ठ भाग पर समिति के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से निम्न प्रमाण पत्र दिये जाने का प्राविधान हैः–

"प्रमाणित किया जाता है कि हमारा (1).....(2).....(3).....(यथा समिति के सदस्य गण) *का व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से समाधान हो गया है कि जिस सामग्री के क्रय की संस्तुति की गयी है कि वह अपेक्षित विशिष्टिताओं और गुणवत्ता वाली है, उसका मूल्य वर्तमान बाजार दर के अनुसार है और जिस आपूर्तिकर्ता की संस्तुति की गयी है वह विश्वसनीय और प्रश्नगत सामग्री को आपूर्ति करने में सक्षम है।"*

हस्ताक्षर	*(1)*	*(2)*	*(3)*
	नाम	*नाम*	*नाम*
	पदनाम	*पदनाम*	*पदनाम*

उपरोक्त के क्रम में यह सुस्पष्ट किया जाना है कि **"क्रय समिति के माध्यम से सामग्री के क्रय"** के सम्पादन हेतु उक्त प्रक्रिया (यथा क्रय दल द्वारा क्रय का कार्यवृत्त सम्बन्धित पत्रावली में अभिलिखित किया जाना, सुनिश्चित करते हुए कार्यवृत्त में सामग्री एवं आपूर्तिकर्ता के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख इत्यादि) का विश्वविद्यालय के समस्त विभागों द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जाना अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। अनुपालन के अभाव में सम्परीक्षा आपत्ति का सामना करना पड़ सकता है जिसके लिए सम्बन्धित मांगकर्ता विभाग का उत्तरदायी माना जायेगा।

अतः **क्रय समिति के माध्यम से सामग्री के क्रय** के प्रकरणों में समस्त अधिष्ठाताओं / निदेशकों / विभागाध्यक्षों / कार्यालयाध्यक्षों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने महाविद्यालय / निदेशालय / विभाग / कार्यालय द्वारा उक्त प्राविधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।

22.01.2020

प्रभारी अधिकारी, भण्डार क्रय

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण।
2. वित्त नियन्त्रक।
3. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।